माइक्रो प्लास्टिक हालांकि इंसान का अपेक्षाकृत नूतन अविष्कार है, लेकिन, पृथ्वी के हरेक इकोसिस्टम में इसने घुसपैठ कर ली है। वैज्ञानिकों को मिट्टी, नदी, भोजन, बोतल बंद पानी और मानव शरीर में माइक्रो प्लास्टिक के अंश मिल चुके हैं। अब स्लोवाकिया की युनिवर्सिटी ऑफ प्रेशोव के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहली बार ''प्लांट लीफ एक्सिल्स'' (पौधे के तने का वो भाग जहाँ से पत्ता विकसित होता है) में भी माइक्रो प्लास्टिक पाया है। शोधकर्ताओं को ईस्टर्न स्लोवाकिया के छोटे-छोटे तालाबों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते समय गोखरु की पत्तियों के एक्सिल, जहां पत्ती शाख से जुड़ी होती हैं, में माइक्रो प्लास्टिक मिला। गोखरु (टीज़ल) की पत्तियां इस तरह से उगती हैं कि एक प्याला सा बन जाता है जिसे टैलमाटा कहते हैं, इसमें पानी एकत्रित होता है। वैज्ञानिकों को हैरानी हुई, जब उन्हें टैलमाटा में अलग-अलग रंग के सूक्ष्म टुकड़े व रेशे मिले, जिनकी पहचान बाद में माइक्रो प्लास्टिक के रुप में की गई। शोधकर्ताओं ने लिखा कि, ''टीज़ल फायटोटैलमाटा'' काफी आम किन्तु उपेक्षित ''एक्वैटिक माइक्रोकॉज़्म'' हैं जो तीन या चार माह के लिए ही नज़र आते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और इनका जीवनकाल बहुत छोटा होता है। सवाल यह है कि इतनी कम अवधि में भी उनमें माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण कैसे हुआ? चूंकि, आसपास के पर्यावरण में प्रदूषण का कोई स्रोत नहीं मिला। इसलिए सर्वाधिक संभावना यही लगती है कि, प्रदूषित वातावरण से माइक्रो प्लास्टिक आया होगा। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि, दूसरा स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि, स्नेल्स (घोंघे) अपने शरीर के अंदर या ऊपर जमीन से या अन्य पौधों से माइक्रोप्लास्टिक लाए होंगे। वैज्ञानिकों ने कहा, ''छोटे-छोटे अस्थायी तथा पौधों द्वारा सृजित जलाशयों में माइक्रोप्लास्टिक मिलना इस बात का सबूत है कि, इस तरह का प्रदूषण विभिन्न तरीकों से फैलता है और पृथ्वी का कोई भी पर्यावरण इनसे सुरक्षित नहीं है। दूसरी ओर टीज़ल फायटोटैलमाटा पर रिसर्च के हमारे नतीजे बेहद असाधारण हैं तथा इसमें आगे रिसर्च की गई संभावनाएं हैं।''

137 साल पुरानी कांग्रेस में मात्र 6 बार ही हुआ अध्यक्ष का चुनाव

इस बार पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। खड़गे का मुकाबला केरल के सांसद शशि थरूर से है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। सोमवार को होने वाला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के 137 साल के इतिहास में इस पद के लिये होने वाला छठाँ चुनाव है। चुनाव में खड़े होने के लिये, राज्यसभा के विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देकर 80-वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे, केरल सांसद शशि थरूर को तगड़ी शिकस्त देने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। अगर अतीत में दो बाद हुये उलटफेर जैसी किसी चीज़ की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही।

बहुत पहले, 1939 में हुये पहले चुनाव में, महात्मा गांधी-प्रेरित-पोषित उम्मीदवार पी. सीतारमैया, नेताजी सुभाष चन्द बोस से हार गये थे। आज़ादी के बाद 1950 में हुये चुनाव में, प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रेरित-पोषित आचार्य कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन से हार गये थे। टंडन को सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन प्राप्त था।

1977 में, देवकांत बरुआ, जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में ''इंदिरा भारत है और भारत इंदिरा है'' का नारा दिया था, के इस्तीफे के बाद, के. ब्रह्मानन्द रेड्डी ने डॉ. करण सिंह तथा सिद्धार्थ शंकर रॉय को हरा दिया था।

- **कांग्रेस का पहला चुनाव 1939 में हुआ था, जब महात्मा गांधी समर्थित प्रत्याशी पट्टाभि सीतारमैया को सुभाष चन्द्र बोस ने हराया था।**
- **आजादी के बाद 1950 में हुए चुनाव में नेहरू समर्थित आचार्य कृपलानी पुरूषोत्तम दास टंडन से हार गए थे।**

इसके बाद अगले चुनाव की जरूरत 20 वर्ष बाद 1997 में पड़ी, जब ए.आई.सी.सी. कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी ने त्रिकोणीय संघर्ष में शरद पवार एवं राजेश पायलट को हरा दिया था। महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के अलावा, कांग्रेस की सभी राज्य इकाइयों ने केसरी का समर्थन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें पार्टी प्रतिनिधियों के 6224 वोट मिले थे, जबकि पवार मात्र 882 वोटों तक सीमित रह गये थे और पायलट को उनसे भी बहुत कम, मात्र 354 वोट ही मिले थे। एक अन्य चुनाव 2000 में हुआ था। यह पहला और एकमात्र अवसर था, जब गांधी-परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव में चुनौती दी गई थी, लेकिन वह चुनौती सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि जितेन्द्र प्रसाद, जो ए.आई.सी.सी. के उपाध्यक्ष थे, की सोनिया गांधी के हाथों करारी हार हुई थी। सोनिया गांधी ने 7400 से ज्यादा वोट अर्जित किये थे, जबकि प्रसाद को मात्र 94 वोट मिले बताये जाते हैं।

लेकिन शशि थरूर ने हिम्मत नहीं हारी है, जबकि सारी स्थितियाँ-परिस्थितियाँ उनके प्रतिकूल हैं। उन्होंने रविवार को चुनाव अधिकारी को ज्ञापन देते हुये, उनके द्वारा प्रतिनिधियों से कहे जाने के प्रति विरोध जताया कि प्रतिनिधि जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं, उसके नाम के आगे ''1'' अंकित कर दें। उनके विरोध व्यक्त किये जाने का मूल कारण यह था कि यह निर्देश खड़गे की जीत की संभावनाओं को बढ़ाने का अप्रत्यक्ष तरीका है, क्योंकि खड़गे का नाम मतपत्र पर पहले नम्बर पर है। गुजरात के पूर्व सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने चुनाव अधिकारी पर लगे इस आरोप को दूर करने के लिये तुरन्त कदम उठाया तथा निर्णय लिया कि प्रतिनिधि जिसे वोट देना चाहते हैं, उसके नाम पर टिक लगा दें।

खड़गे, जिन्हें गांधी-परिवार और पार्टी के इंकार के बावजूद, पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, ने कहा कि पार्टी को चलाने के लिये सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से सलाह लेने में कोई गलत बात नहीं है क्योंकि इस परिवार ने संघर्ष किया, कुर्बानियाँ दी हैं तथा पार्टी को खड़ा किया है। थरूर ने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिये राज्य कांग्रेस अध्यक्षों को अधिकार दिये जाने चाहिये। उन्होंने कहा कि ये लोग इंदिरा गांधी के समय से नज़र अंदाज होते आ रहे हैं।

'सचिन पायलट की उम्र में गहलोत मुख्यमंत्री बन गए थे'

गुढ़ा ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि, उस समय परसराम मदेरणा, नवल किशोर शर्मा सहित 20 से 30 नेताओं को साइडलाइन करके एक लाइन के प्रस्ताव से सी.एम. बनाया गया था गहलोत को

जयपुर, 17 अक्टूबर (का.प्र.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से युवा नेताओं की रगड़ाई की बातों को लेकर जहां तंज कसे गए, वही मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने इन बातों का जवाब दिया। इसी के साथ गुढ़ा ने यह भी कहा कि ''बहुत जल्द सचिन पायलट का टाइम आने वाला है।''

गहलोत की ओर से बार-बार उम्र को लेकर बातें कहे जाने के बाद गुढ़ा ने कहा कि सचिन पायलट की उम्र में गहलोत मुख्यमंत्री बन गए थे। उनके जमाने में परसराम मदेरणा, नवलकिशोर शर्मा सहित 20 से 30 नेताओं को साइडलाइन करके एक लाइन के प्रस्ताव से गहलोत को सीएम बनाया गया था। गहलोत पहली बार सीएम बने तो काम भी अच्छा किया, क्योंकि नौजवान थे,तो काम अच्छा किया।

गुढ़ा ने कहा कि ''अनुभव को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यूथ को भी साइडलाइन नहीं कर सकते।

- **उन्होंने कहा, अनुभव को साइडलाइन नहीं कर सकते, लेकिन यूथ को भी साइडलाइन नहीं कर सकते। आदि शंकराचार्य ने 33 साल की उम्र में नाम किया, विवेकानन्द 36 साल में दुनिया से चले गए, सिकंदर ने 27 की उम्र में दुनिया जीत ली थी।**

आदि शंकराचार्य 33 साल की उम्र में नाम करके चले गए थे। विवेकानंद 36 साल में दुनिया से चले गए थे, सिकंदर 27 साल की उम्र में दुनिया जीतकर चला गया था। नौजवानों ने रिज़ल्ट दिए हैं।''

गुढ़ा ने कहा कि ''पायलट का समय जल्दी आएगा। पायलट सीएम बनेंगे।

अध्यक्ष के चुनाव के बाद पायलट का समय आएगा। जो नेता पहले कह रहे थे कि आलाकमान को नहीं मानेंगे, आज वे माफी मांग रहे हैं। हमारे सचेतक को ले लीजिए, धारीवाल को ले लीजिए और धर्मेंद्र राठौड़ को ले लीजिए अब माफी मांग रहे हैं। मैं अपने स्टेंड पर कायम हूं।''

मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार रगड़ाई की बातें कहे जाने को लेकर मंत्री प्रताप सिह खाचरियावास ने कहा कि ''मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं तो उसका मतलब होगा, लेकिन मैं तो खुद खूब रगड़ाई कर चुका हूं, इसलिए मुझे चिंता नहीं है।''

राज्यपाल व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन का विधेयक है। इसके अन्तर्गत केरल के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के चयन में राज्य सरकार को प्रमुखता दी गई है और राज्यपाल से यह अधिकार छीन लिया गया है। सरकार के इस कदम को हल्के में ना लेते हुए राज्यपाल ने इस विधेयक पर अपनी मंजूरी देने से इंकार कर सरकार के निर्णय को अवरूद्ध कर दिया। इससे दोनों पक्षों के बीच और विवाद गहरा गया है।

कुछ मंत्रियों ने राज्यपाल की आलोचना करने के बाद सोमवार को राज्यपाल ने ट्वीट करके मंत्रियों को चेतावनी दी कि जो लोग राज्यपाल के पद की गरिमा कर रहे हैं उनके विरूद्ध कार्रवाई हो सकती है जिसमें मंत्री पद से हटाया जाना भी शामिल है। राज्यपाल के कार्यालय ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि ''मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद को राज्यपाल को सलाह देने का पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ मंत्रियों के बयान जो राज्यपाल पद की गरिमा गिराते हैं, पर कार्रवाई हो सकती है, जिसमें उनकी बर्खास्तगी भी शामिल है।''

राज्यपाल का यह रूख कि ''जो नियुक्ति दे सकता है, वह पद से भी हटा सकता है'', पर सी.पी.एम. और राज्य सरकार के मंत्रियों ने कठोर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि मंत्रियों को हटाने की राज्यपाल के पास कोई तानाशाही पूर्ण शक्तियां नहीं है। सी.पी.एम. के पोलित ब्यूरो ने कहा कि संविधान ने राज्यपाल को ऐसी अधिनायकवादी शक्तियां नहीं दी हैं। वास्तव में, पोलित ब्यूरो ने कहा कि राज्यपाल का बयान सिर्फ उनका राजनीतिक झुकाव और एल.डी.एफ. सरकार के प्रति उनका बैरभाव दर्शाता है। पोलित ब्यूरो ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्तक्षेप की मांग करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहा कि राज्यपाल ऐसे गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक बयान ना दें।

राज ठाकरे व शरद पवार का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समर्थन देना चाहिये ताकि वे चुनाव जीत जायें।

यह बात सबसे पहले राज ठाकरे ने उठाई थी। राज ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस को संबोधित पत्र में लिखा था, ''प्रिय मित्र देवेन्द्र, स्व. रमेश लटके की मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी रुतुजा लटके चुनाव लड़ रही हैं। मैं रमेश लटके की एक कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक की यात्रा का मैं साक्षी रहा हूँ। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी का विधायक चुना जाना स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि होगी।''

उन्होंने आगे लिखा था, ''मेरे विचार से तो ऐसा करके हम इस स्वर्गीय जनप्रतिनिधि को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। ऐसा करना हमारे महाराष्ट्र की महान संस्कृति के अनुरुप भी होगा आशा करता हूँ कि आप मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेंगे।''

राज ठाकरे के पत्र के जवाब में फड़नवीस ने कहा कि यह निर्णय वे अकेले नहीं ले सकते।

इससे पूर्व पवार यह कह चुके थे, ''नये सदस्य (विधायक) का कार्यकाल मात्र डेढ़ साल का होगा। यह उपचुनाव रमेश लटके की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण हो रहा है। उनके योगदान को ध्यान में रखा जाना चाहिये।''

इस भावनात्मक कदम से पहले टीम ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट पर आरोप लगाते हुये कहा था कि शिंदे गुट उनके प्रत्याशी का खेल बिगाड़ने के लिये, मुम्बई के स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करके श्रीमती लटके के त्याग पत्र संबंधी काम में विलम्ब करा रहा है।

लटके, जो बृहन्मुम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बी.एम.सी.) में क्लर्क थीं, इस उपचुनाव में अपना पर्चा तभी भर सकती थीं, जब कोई अदालत बी.एम.सी. को उनका त्यागा पत्र स्वीकार करने का आदेश दे।

भाजपा लम्बे समय से राज ठाकरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनके समर्थन से आगामी बी.एम.सी. चुनाव जीतने में पार्टी को मदद मिलने की संभावना थी। उद्धव ठाकरे के विरोधी चचेरे भाई की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर भाजपा ने मुम्बई के मतदाताओं को यह संकेत देने की कोशिश की है कि भाजपा के लिये उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण राज ठाकरे हैं। सूत्रों का कहना है कि यह सब कुछ राज ठाकरे तथा उनके मित्र फड़नवीस का मिला-जुला खेल था क्योंकि भाजपा का मानना था कि उसके लिये अंधेरी (पूर्व) जीतना पक्का नहीं है क्योंकि शिव सेना के उम्मीदवार के प्रति जनता की अपार सहानुभूति है तथा एन.सी.पी., कांग्रेस, वाम दल तथा अन्य राजनैतिक संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं।

इस प्रकार, भाजपा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं- जहाँ उसने अपनी संभावित पराजय को शर्म से बचा लिया है, वहीं उसने राज ठाकरे पर भी एक एहसान थोप दिया है।

स्मार्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बैंच ने कहा कि ''कई लोग अद्वैत दर्शन का अनुसरण करते हैं। इस मामले में यदि अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया तो हमारा देश अल्पसंख्यकों का देश हो जाएगा।''

हाई कोर्ट ने 7 जून 2022 को कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 (धार्मिक स्वतंत्रता) के अंतर्गत स्मार्त ब्राह्मण लाभांवित होने के अधिकारी नहीं है।

''स्पष्ट है कि स्मार्त ब्राह्मण या अन्य किसी नाम से कोई सामान्य संगठन नहीं है। यह एक जाति या समुदाय है जिसके साथ ऐसी कोई विशेष खासियत नहीं जुड़ी है जो उन्हें तमिलनाडू के अन्य ब्राह्मणों से अलग करती हो।''

हाई कोर्ट ने कहा था कि ''अत: वे स्वयं को एक धार्मिक सम्प्रदाय नहीं कहलवा सकते। परिणामत: वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत लाभांवित होने के अधिकारी नहीं है। अपीलार्थियों के सभी ठोस कानूनी प्रश्नों का जवाब दे दिया गया है।

नया अध्यक्ष...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव में कांग्रेस के बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (80), पार्टी सांसद शशि थरूर (65) को बड़ी आसानी से हरा देंगे। खड़गे के सबसे प्रिय होने का कारण यह है कि वे गांधी परिवार के नज़दीक माने जाते हैं तथा अधिकांश वरिष्ठ नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, जबकि थरूर ने स्वयं को परिवर्तनवादी उम्मीदवार के रूप में पेश किया है, जबकि 9000 से अधिक प्रतिनिधियों में परिवर्तन को गृहण एवं स्वीकार करने वाला चन्द लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उनकी पुत्री एवं ए.आई.सी.सी. महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ए.आई.सी.सी. मुख्यालय में बनाये गये मतदान केन्द्र में अपने वोट डाले। सोनिया ने कहा कि ''वे लम्बे समय से इस स्थिति की प्रतीक्षा कर रही थीं कि कोई गैर-गांधी नेता अब पार्टी को सँभाले।''

लेकिन, अभी तक नये अध्यक्ष को आसनारूढ़ करने के लिये तथा कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सी.डब्ल्यू.सी.) चुनाव कराने के लिये, ए.आई.सी.सी. के अधिवेशन की कोई तिथि तय नहीं हुई है।

'हथियारों के आयातक से निर्यातक बना भारत'

अहमदाबाद 17 अक्टूबर (वार्ता) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने हथियारों के बड़े आयातक से 25 बड़े निर्यातक देशों में शामिल होने की यात्रा तय की है और आने वाले महीनों में देश का रक्षा निर्यात 20 हजार करोड़ रूपए को पार कर जाएगा। सिंह ने आज यहां गांधीनगर में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी से संबंधित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हथियारों के तथा अन्य रक्षा उत्पादों के सबसे बड़े आयातक की पहचान को पीछे छोड़ कर हथियारों का बड़ा निर्यातक देश बनने की यात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष केवल छह महीनों में भारत ने 8000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में यह आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 तक भारत का रक्षा निर्यात 35 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा और उसकी गिनती दुनिया के बड़े रक्षा निर्यातक देश के रूप में की जाएगी। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाते हुए अब 'मेक फॉर वर्ल्ड' की भूमिका में आ गया है। उन्होंने कहा, रक्षा प्रदर्शनी का 12 वा संस्करण इस दिशा में आगे बढ़ ने के साथ-साथ भारत को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

खिलाड़िया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टरकाया जा रहा है, ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों के साथ यह घिनौना मजाक है। सराफ ने मुख्यमंत्री से मांग की व खिलाड़ियों को दिए गए चैक की राशि का भुगतान तुरंत किया जाये, एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो।

'डिस्कॉम की यह धमकी नाजायज़ है कि वह पवन व सौर ऊर्जा मनमानी दर पर खरीदेंगे'

'बिजली की रेट निर्धारण करना विद्युत नियामक आयोग का कार्य क्षेत्र है'

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में ''रिन्युएबल एनर्जी सर्टिफिकेट'' (आर.ई.सी.) नीति के तहत बने पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा के प्लांट को अप्रेल-2019 से बिजली उत्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं करने के मामलों पर आज न्यायाधीश एम.एम श्रीवास्तव और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जैसा कि विदित है कि इस मामले में 108 याचिकाकर्ता हैं, जिन्हें पिछले तीन वर्ष से बिजली उत्पादन के लिये सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि केवल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.) को ही बिजली उत्पादन के लिये 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। इस मामले में आई.ओ.सी. के अलावा केंद्र सरकार की कई अन्य इकाईयां और प्राइवेट उद्योगपति भी हैं, जिन्हें भी भुगतान किया जाना है।

आज सुनवाई के दौरान आईओसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने पैरवी जारी रखी। उन्होंने

- **आर.ई.सी. नीति के तहत बने अक्षय ऊर्जा पावर प्लान्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने कहा कि, डिस्कॉम ने नीति व कानून के विरूद्ध जाकर उत्पादकों को पत्र लिखा है कि, वह उनसे पुरानी दरों पर बिजली नहीं खरीदेगी।**
- **उन्होंने कहा कि इस पत्र में जाहिर होता है कि, डिस्कॉम चाहती थी कि आयोग 10 से 15 दिन के भीतर अक्षय ऊर्जा खरीदने की नई दरें तय करे।**
- **उन्होंने कहा कि आयोग ने भी अपने दायित्व को न निभाते हुए और उत्पादकों की आपत्तियों को नज़र अंदाज किया और नयी दरें तय कर दीं तथा प्रोजैक्ट की बची अवधि के लिए कानून के विरूद्ध जाकर बिजली का ''प्राइस फिक्स'' कर दिया।**
- **इस तर्क के साथ ही आर.ई.सी. नीति के तहत बने अक्षय ऊर्जा पावर प्लान्ट के संचालकों ने अपनी बहस खत्म की। अब इस मामले में राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी।**

अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किये कि मार्च 2019 में राजस्थान विद्युत नियामक आयोग द्वारा यह फैसला लिया जाना, कि आर.ई.सी. नीति के तहत पवन व सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले प्लांट से प्रदेश की डिस्कॉम्स 3.14 रुपये प्रति यूनिट से ही खरीद सकती हैं, आयोग की अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

उन्होंने अदालत को बताया कि बिजली की दरें कुछ वर्षों के अन्तराल में आयोग द्वारा उत्पादकों और ग्राहकों के हित को समझते हुए तय की जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 की धारा 61-64 के तहत आयोग पर एक गहरी जिम्मेदारी होती है कि वह दरें तय करते समय बिजली उत्पादकों की लागत संबंधी आपत्तियों को सुने और फिर ही निर्णय ले। परंतु मार्च 2019 में आयोग ने फैसला लिया कि आर.ई.सी. नीति के तहत बने पावर प्लांटों की बची हुई 22 साल की अवधि के दौरान 3.14 रुपये प्रति यूनिट से ही बिजली ली जायेगी। आयोग के इस फैसले से बिजली दरों की ''प्राइस कैपिंग'' कर दी गई, जो कानून के खिलाफ है और इससे यह भी साफ जाहिर होता है कि आयोग के अधिकारी बिजली निर्माताओं की बातें व आपत्ति सुनकर दरें तय करना नहीं चाहते थे।

आर.एन. माथुर ने अदालत को यह भी बताया कि आयोग पर राज्य सरकार ने दवाब बनाया था कि वह आर.ई.सी. नीति के तहत बने पावर प्लांट से पुरानी दर (3.67 रुपये प्रति यूनिट) पर बिजली नहीं खरीदेंगे। यह तथ्य इस बात से साबित होता है कि डिस्कॉम ने बने इन पावर प्लांट को पत्र लिखा था कि वह उनके साथ 1 अप्रेल 2019 से परचेज़ पावर एग्रीमेंट (पी.पी.ए.) यानी बिजली खरीदने का अनुबंधन नहीं करेगी यदि पुरानी दरें लागू रहेंगी तो। डिस्कॉम द्वारा पत्र लिखे जाने के 10 से 15 दिनों के भीतर ही आयोग ने नई दर (3.14 रु. प्रति युनिट) तय कर दी और उत्पादकों की किसी भी आपत्ति को नही सुना।

यहां पाठकों को यह बताना जरूरी है कि आर.ई.सी. नीति केंद्र सरकार की सोलर तथा विंड पॉलिसी-2012 के तहत लाई गई थी, जिसमें राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश किये जाने पर प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस नीति के तहत स्थानीय डिस्कॉम्स को राज्य के आयोग द्वारा तय की गई दरों पर अक्षय ऊर्जा से बनीं बिजली को खरीदना अनिवार्य है। आर.एन. माथुर ने यह सभी तथ्य अदालत के सामने पेश किये और कहा कि राजस्थान की डिस्कॉम्स ने नीति का उल्लंघन करते हुए इन सभी प्लांट संचालकों को पत्र लिखा था कि वह उनसे बिजली नही खरीदेंगे।।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने थर्मल पावर स्टेशन चलाने वाली या उससे संबंधित लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये, आर.ई.सी. नीति के तहत सौर ऊर्जा मे निवेश कर चुकी कंपनियों को भुगतान करने के लिये गैर वाजिब दरें तय की हैं और फिर मुआवजा भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली की दर तय करते समय यह तो बताया कि 2020 में ओपन मार्केट में टेंडर जीत चुकी कंपनी सस्ते दरों पर बिजली उत्पादन कर सकती है परंतु प्रदेश की 75 प्रतिशत बिजली थर्मल प्लांट से बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी ''पूल रेट'' (सभी उत्पादकों से मिल रही बिजली की औसत दर) में थर्मल पावर प्लांट से बनने वाली बिजली की औसत दर को नहीं जोड़ा है, जो करीब 5 रुपये प्रति यूनिट से भी अधिक है। यह दर आर.ई.सी. नीति से बनी प्लांट्स से बनी बिजली से कहीं अधिक है। परंतु फिर भी राज्य सरकार इन्हीं प्लांट्स का हाथ मरोड़ने में लगी हुई है जबकि नीति के अनुसार उन्हें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश के लिए प्रोत्साहन देना चाहिये।

नकाबपोश बदमाशों ने बैंक लूटा

सपोटरा/करौली, 17 अक्टूबर (नि.सं)। सपोटरा के अमरगढ़ कस्बे में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सोमवार को दोपहर 3 बजे के करीब तीन नकाबपोश बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। हथियारों से लैस बदमाशों ने उपभोक्ताओं को बाहर निकालकर बैंक कर्मचारियों पर रिवाल्वर तान दी और बैंक में फायर किया।

बैंक कैशियर दयाराम मीणा दाएं पैर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पास में खड़े वसूली एजेंट कुंजबिहारी के ऊपर भी बदमाशों ने फायर किया, गोली कुंज बिहारी के कंधे को छूती हुई निकल गई जिससे कुंज बिहारी भी घायल हो गया।

उधर शाखा प्रबंधक नमोनारायण मीणा को भी बदमाशों ने रिवाल्वर दिखाई व बैंक से करीब 4 लाख रुपया लूट कर ले गए। घटना की खबर हवा की तरह कस्बे में फैल गई। घायल कैशियर, वसूली एजेंट को सपोटरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देकर उन्हें करौली रैफर कर दिया गया। वहीं करौली अस्पताल में कैशियर दयाराम मीणा को भर्ती कर उपचार किया।

सूचना मिलते ही भरतपुर से बैंक के सर्किल हैड राजेंद्र सिंह राठौड, जिला समन्वयक विनय कुमार मीणा, यूनियन सेक्रेटरी भजन लाल मीणा, अमरगढ़

- **रिवॉल्वर से फायर कर बैंक कैशियर सहित वसूली एजेन्ट को घायल किया।**
- **बताया जाता है कि, डकैत चार लाख रू. लूट ले गए।**

शाखा प्रबंधक नमोनारायण मीणा, करौली सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। जहां उन्होंने घायल कैशियर से पूरी घटना की जानकारी ली। उधर शाखा प्रबंधक ने सपोटरा थाने पर घटना की रिपोर्ट दी।

तीन दिन पहले करौली जिला मुख्यालय स्थित क्षेत्रीय अरावली बड़ौदा ग्रामीण बैंक, अनाज मंडी, में रोशनदान की जाली काटकर अंदर प्रवेश कर बदमाशों ने बैंक को लूटने का काफी प्रयास किया। शाखा प्रबंधक नमोनारायण मीणा ने घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना पर सपोटरा थाना पुलिस, जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद भी मौके पर पहुंचे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908